

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 06/2020 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम

1. श्री चन्द्रप्रकाश रंगवानी पुत्र भगवानदास  
सिन्धी (विक्रेता) मैसर्स राजा जनरल  
स्टोर, 3-सीएच-24, बापूनगर, गौतमधाम  
के पास, भीलवाड़ा

— प्रार्थी

— विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)  
एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित—

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

## आदेश

दिनांक 26.11.2020

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी चन्द्रप्रकाश रंगवानी पुत्र भगवानदास सिन्धी (विक्रेता) मैसर्स राजा जनरल स्टोर, 3-सीएच-24, बापूनगर, गौतमधाम के पास, भीलवाड़ा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को खाद्य पदार्थ नमकीन का विक्रय कर रहा था। मिलावट का शक होने पर वास्ते जांच हेतु एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना विक्रेता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार नमकीन का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छांयाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाड़ा (राज.)

(5)

कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.07.2019 को समय 03.50 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु चन्द्रप्रकाश रंगवानी पुत्र भगवानदास सिन्धी (विक्रेता) मैसर्स राजा जनरल स्टोर, 3-सीएच-24, बापूनगर, गौतमधाम के पास, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। विक्रेता इस समय खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से चन्द्रप्रकाश रंगवानी पुत्र भगवानदास सिन्धी (विक्रेता) मैसर्स राजा जनरल स्टोर, 3-सीएच-24, बापूनगर, गौतमधाम के पास, भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को नमकीन का विक्रय कर रहा था।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को 180/-रु. नगद देकर नमकीन वास्ते जांच खरीदा तथा रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर एक्स - 728 नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./1579/एफएसएसए/2019/1113 दिनांक 16.07.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, नमकीन निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण मिसब्राण्ड (MIS BRAND) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी चन्द्रप्रकाश रंगवानी पुत्र भगवानदास सिन्धी (विक्रेता) मैसर्स राजा जनरल स्टोर, 3-सीएच-24, बापूनगर, गौतमधाम के पास, भीलवाडा द्वारा सबस्टैण्डर्ड नमकीन का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अभिहित जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)

26.02.2020 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

प्रकरण में विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना नमकीन मिसब्राण्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि The specific name of edible vegetable oil used in the products not mentioned on the label of sample. Contravention of Regulation No. 2.2.2.2 (c) of food safty and standards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड नमकीन का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये सैम्पल जो कि मिसब्राण्ड होना पाया गया है, वह विपक्षी द्वारा सील पैकड माल को ही खरीद कर उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। उक्त कम्पनी द्वारा पैकिंग माल में विपक्षी द्वारा कोई मिलावट नहीं की जाती है। कम्पनी द्वारा प्रेषित माल ज्यों का त्यों विपक्षी द्वारा विक्रय जाता है। निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारिज किया जावे।

उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस. /1579/एफएसएसए/2019/1113 दिनांक 16.07.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, नमकीन निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण मिसब्राण्ड (Mis Brand) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि The specific name of edible vegetable oil used in the product not mentioned on the label of sample. Contravention of Regulation No. 2.2.2.2 (c) of food safty and standards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी चन्द्रप्रकाश रंगवानी पुत्र भगवानदास सिन्धी (विक्रेता) मैसर्स राजा जनरल स्टोर, 3-सीएच-24, बापूनगर, गौतमधाम के पास, भीलवाडा मिसब्राण्डेड नमकीन का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड नमकीन का विक्रय किया है, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा



न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)

52 में वर्णित हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगण द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 7,000/-रूपये (अक्षरे सात हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा रसीद पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर ।
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा
- 3 श्री चन्द्रप्रकाश रंगवानी पुत्र भगवानदास सिन्धी (विक्रेता) मैसर्स राजा जनरल स्टोर, 3-सीएच-24, बापूनगर, गौतमधाम के पास, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)